



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील सं174/2024

- 1 - श्रीमती सुमन यादव पति स्वर्गीय मनोज कुमार यादव, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी गांव वार्ड सं 3, मोहल्ला-भंथा पारा लिमगांव चारोदा, थाना और तहसील - मलखरौदा, जिला सक्ति, (छ.ग).
- 2 - कुमारी अदिति पिता स्वर्गीय मनोज कुमार यादव, उम्र लगभग 7 वर्ष, नाबालिग, अपनी प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सुमन यादव के द्वारा, निवासी गांव वार्ड नंबर 3, मोहल्ला-भंथा पारा लिमगांव चारोदा, थाना और तहसील - मलखरौदा, जिला सक्ति, (छ.ग)
- 3 - आकाश कुमार पिता स्वर्गीय मनोज कुमार यादव, उम्र लगभग 3 वर्ष, नाबालिग, प्राकृतिक अभिभावक माता श्रीमती सुमन यादव के द्वारा,, निवासी ग्राम वार्ड सं 3, मोहल्ला-भंथा पारा लिमगांव चारोदा, थाना और तहसील - मलखरौदा, जिला सक्ति, (छ.ग)
- 4 - तेजराम यादव पिता स्वर्गीय मोहित राम यादव, लगभग 70 वर्ष ग्राम वार्ड संख्या 3, मोहल्ला-भंथा कंडिका लिमगांव चरोदा, निवासी पिता तथा तहसील-मलखरौड़ा, जिला शक्ति, छ.ग.
- 5 - श्रीमती. नोनी बाई पति तेजनिवासी यादव लगभग 65 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 3, मोहल्ला-भंथापारा लिमगांव चरोदा, पी. एस. तथा तहसील-मलखरौड़ा, जिला शक्ति, छ.ग.

---अपीलार्थी/वादी

बनाम

- 1- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के माध्यम से, राजकुमार कॉलेज के पीछे, डंगनिया रायपुर, जिला रायपुर, (छ.ग.)।
- 2 - कार्यपालन अभियंता (ओ एंड एम) संभाग सीएसपीडीसीएल, जिला सक्ती (छ.ग.)।
- 3 - सहायक अभियंता (वित्त) सीएसपीडीसीएल, जिला सक्ती (छ.ग.)।
- 4 - कनिष्ठ अभियंता सीएसपीडीसीएल अड़भार, जिला सक्ती (छ.ग.)।
- 5- मुख्य विद्युत निरीक्षक बैरन बाजार, फवारा चौक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।

---उत्तरवादी/प्रतिवादी



अपीलार्थी हेतु :		श्री बसंत देवांगन, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण हेतु :		श्री ब्रजेंद्र सिंह, अधिवक्ता
वाद मित्र के रूप में:		श्री राहुल तमस्कर, अधिवक्ता

युगल पीठ:--

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री सचिन सिंह राजपूत, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

06.08 .2025

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1.अपीलार्थी/वादीगण ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा सिविल वाद क्रमांक 16-बी/2023 में पारित दिनांक 16/07/2024 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री की वैधानिकता, वैधता और सत्यता पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके द्वारा वादीगण के वाद को आंशिक रूप से डिक्री किया गया है और विद्युत आघात के कारण मनोज कुमार यादव की मृत्यु के लिए उनके पक्ष में 4,00,000/- रुपये का क्षतिपूर्ति वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष ब्याज सहित स्वीकृत किया गया है और अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा वर्तमान अपील में उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की मांग की गई है।

(सुविधा के लिए, पक्षकारों को इसके बाद विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में दी गई उनकी स्थिति तथा श्रेणी के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

2. उपरोक्त आक्षेपित निर्णय और डिक्री को चुनौती निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर दी गई है:---

(i) दिनांक 06/08/2023 को लगभग 10:45 बजे, मृतक मनोज कुमार यादव, जो अपने कृषि क्षेत्र में काम कर रहा था, पानी के पंप को चलाने के लिए गुप्त रूप से बिजली चोरी कर रहा था और बिजली के तार के संपर्क में आ गया और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

(ii) वादीगण, जो क्रमशः मृतक मनोज कुमार यादव की पत्नी, दो बच्चे और माता-पिता हैं, ने रु. 35,00,000/- रुपये के क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए वाद दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि मृत्यु के समय मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष थी और वह एक सक्षम व्यक्ति था और वह एक मैकेनिक के साथ-साथ एक किसान और मजदूर के रूप में भी काम करता था और अपने परिवार की



जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000/- रुपये प्रति माह कमाता था। वादीगण और प्रतिवादी मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए वे क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं।

(iii) प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने संयुक्त रूप से अपना लिखित बयान दायर किया तथा वादी द्वारा किए गए कथनों का विरोध किया तथा कहा कि कोई 5 नहीं था। प्रतिवादी की ओर से की गई लापरवाही, इसलिए, वे क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं हैं, यदि कोई हो।

(iv) प्रतिवादी संख्या 5 ने अलग से लिखित बयान दाखिल किया तथा वादपत्र के कथनों का विरोध किया तथा कहा कि मृतक मनोज कुमार अपने खेत में पानी का पंप चलाने के लिए अवैध रूप से बिजली ले रहा था, जिसके कारण वह विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आ गया तथा करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए वह स्वयं जिम्मेदार है तथा वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य है।

(v) विद्वान विचारण न्यायालय ने, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बनाम शैल कुमारी 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, दिनांक 16/07/2024 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा वादीगण के वाद को आंशिक रूप से डिक्रीकृत किया और वादीगण के पक्ष में 4,00,000/- रुपए का क्षतिपूर्ति प्रदान किया, जिससे व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधिनिर्णय की राशि में वृद्धि की मांग करते हुए तत्काल प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने 4 विवादक निर्धारित किए और उनका उत्तर नीचे दिए अनुसार दिया:---

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1) क्या, दिनांक 06.08.2023 को ग्राम लिमगाँव चरौदा में सुबह लगभग 10:45 बजे भर्ती खार खेत में काम करते समय मनोज कुमार यादव के बिजली खंभा के स्टैंड तार के संपर्क में आ जाने के कारण विद्युत करंट लगने से मनोज कुमार यादव की मृत्यु हो गयी थी ?	प्रमाणित
2) क्या, मनोज कुमार यादव की मृत्यु प्रतिवादीगण की उपेक्षा एवं लापरवाही के कारण हुयी थी ?	प्रमाणित
3) क्या, वादीगण छतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है? यदि हाँ तो कितना और किससे ?	वादीगण, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 से संयुक्ततः अथवा पृथक्तः 4,00,000/- रुपये मय ब्याज छतिपूर्ति पाने के अधिकारी है ।
4) सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 22 के अनुसार



--	--

4. संक्षेप में, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 06/08/2023 को लगभग 10:45 बजे ग्राम लिमगांव, चरौदा में, मृतक मनोज कुमार यादव अपने कृषि क्षेत्र में काम करने गया था और वह एक जीवित तार के संपर्क में आ गया और प्रतिवादियों के उतावलेपन और लापरवाही के कारण बिजली के झटके से उसकी मृत्यु हो गई और वादी के पक्ष में मुआवजे के रूप में 4,00,000/- रुपये का भुगतान किया गया।
5. अपीलकर्ताओं/वादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बसंत देवांगन ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं/वादीगण द्वारा दावा किए गए 35,00,000/- रुपए के स्थान पर मात्र 4,00,000/- रुपए का क्षतिपूर्ति प्रदान करना पूर्णतः अनुचित है तथा भविष्य की संभावना के आधार पर अतिरिक्त 40% जोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि दुर्घटना की तिथि पर मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष थी, अतः तत्काल अपील को स्वीकार किया जाए तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति को बढ़ाया जाए।
6. प्रतिवादियों/उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजेन्द्र सिंह ने प्रस्तुत किया कि मृतक की मृत्यु विद्युत आपूर्ति लाइन से अनाधिकृत एवं अवैध कनेक्शन (हुकिंग) करते समय विद्युत स्पर्शाघात के कारण हुई थी, अतः उत्तरवादीगण/प्रतिवादियों को उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, अतः विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं/वादीगण के पक्ष में उपरोक्त क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने में तथा प्रतिवादियों/उत्तरवादीगण पर क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व निर्धारित करने में त्रुटि की है, अतः वर्तमान अपील खारिज किये जाने योग्य है।
7. विद्वान न्यायमित्र श्री राहुल तामस्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के सुसंगत निर्णयों को हमारे संज्ञान में लाया है और इस अपील से संबंधित विवादक पर निर्णय लेने में सहायता की है।
8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।
9. इस अपील में निर्धारण का बिन्दु यह है कि, "क्या अपीलकर्ता/वादीगण, विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि के हकदार हैं?"
10. विचारण न्यायालय ने इस विवादक पर विचार किया है और क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करते समय, श्रम आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़ के कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची 'ए' के आधार पर मृतक मनोज कुमार यादव की आय 8,400/- रुपये प्रति माह आंकी है, जिसमें 01/04/2023 से 30/09/2023 तक कृषि में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर 8,400/- रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है और उसके बाद, 4,00,000/- रुपये की एकमुश्त राशि देने की कार्यवाही की गई है, जिसे इस अपील के माध्यम से वादी द्वारा बढ़ाने की मांग की गई है। जिसे इस अपील के माध्यम से वादी द्वारा बढ़ाने की मांग की गई है।



11. वादी का दावा कठोर दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे **रायलैण्ड्स बनाम फ्लेचर जे. ब्लैकबर्न** 2 मामले में प्रतिपादित किया गया था, जिसमें उक्त निर्णय के लेखक ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:---

“विधि का सच्चा नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने निजी प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि पर ऐसी कोई भी वस्तु लाता है, तथा उसे एकत्रित करके वहां रखता है, जिसके बाहर निकलने पर नुकसान होने की संभावना हो, तो उसे उसे अपने जोखिम पर रखना चाहिए, और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह प्रथम दृष्टया उस समस्त क्षति के लिए उत्तरदायी है, जो उसके बाहर निकलने के कारण स्वाभाविक रूप से हुई है।”

12. राइलैंड्स बनाम फ्लेचर (सुप्रा) में प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धांत का चरण लाल साहू बनाम भारत संघ 3 और गुजरात एसआरटीसी बनाम रमनभाई प्रभातभाई 4 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ पालन किया गया था, जिसे कौशनुमा बेगम बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 5 में दोहराया गया है।

13. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ 6 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों एक कदम आगे बढ़े तथा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किए गए:---

"जहां कोई उद्यम किसी खतरनाक या स्वाभाविक रूप से खतरनाक गतिविधि में लगा हुआ है और ऐसी गतिविधि के संचालन में दुर्घटना के कारण किसी को नुकसान होता है, तो उद्यम दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति देने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है; ऐसा दायित्व रायलैण्ड्स बनाम फ्लेचर के नियम के तहत सख्त दायित्व के सिद्धांत के किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है।"

14. उपर्युक्त प्रस्तावों पर सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने शैल कुमारी (सुप्रा) के मामले में भरोसा किया है, जो विद्युत-आघात से मृत्यु से संबंधित मामला है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:---

8. यह मानते हुए भी कि ऐसे सभी उपाय अपनाए गए हैं, मानव जीवन के लिए खतरनाक या जोखिमपूर्ण जोखिम वाली गतिविधि करने वाला व्यक्ति, अपकृत्य कानून के तहत किसी अन्य व्यक्ति को हुई चोट की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही ऐसे उपक्रमों के प्रबंधकों की ओर से कोई लापरवाही या असावधानी हुई है। ऐसी देयता का आधार ऐसी गतिविधि की प्रकृति में निहित पूर्वानुमानित जोखिम है। ऐसे व्यक्ति पर लगाई गई देयता को कानून में "सख्त देयता" कहा जाता है। यह उस दायित्व से भिन्न है जो लापरवाही या गलती के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात् लापरवाही की अवधारणा यह समझती है कि उचित सावधानी बरतकर संभावित नुकसान से बचा जा सकता है। यदि प्रतिवादी ने नुकसान से बचने के लिए वह सब कुछ किया जो किया जा सकता था, तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जब कार्यवाही किसी लापरवाही पर आधारित है। परंतु ऐसा विचार सख्त दायित्व के मामलों में सुसंगत नहीं है, जहां प्रतिवादी को इस बात पर ध्यान दिए बिना उत्तरदायी ठहराया जाता है कि क्या वह सावधानी बरतकर विशेष नुकसान से बच सकता था।

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX



14. प्रिवी काउंसिल ने **क्यूबेक रेलवे, लाइट, हेड एंड पावर कंपनी लिमिटेड बनाम वैंड्री 7** मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी, बिना किसी साक्ष्य के, कि उनकी लापरवाही थी, नुकसान के लिए उत्तरदायी है। यहाँ तक कि यह तर्क भी कि तेज़ हवा के कारण केबलें बाधित हो गईं और उच्च-तनाव धारा निम्न-तनाव केबल के माध्यम से उत्तरवादीगण के परिसर में पहुँच गई, न्यायोचित बचाव नहीं माना गया। इस प्रकार, केवल इसलिए कि अवैध कार्य को किसी अजनबी के द्वारा किया गया माना जा सकता है, सड़क पर पड़े विद्युत तार के संबंध में बोर्ड की जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए पर्याप्त नहीं है।”

15. **शैल कुमारी (सुप्रा)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांत के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, विचारण न्यायालय ने सही रूप से माना है कि प्रतिवादी, मनोज कुमार यादव की बिजली के झटके से हुई मृत्यु के लिए वादी को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, हालांकि, विचारण न्यायालय ने वादी को उचित और न्यायसंगत क्षतिपूर्ति न देकर त्रुटि की है। यह विचारण न्यायालय का कर्तव्य था कि वह वादी को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करे तथा उसका आकलन करे। यह यह स्वीकार किया जाता है कि मृतक मनोज कुमार यादव की आयु घटना के समय लगभग 35 वर्ष थी और वह अकुशल मजदूर के रूप में कार्य करता था तथा कृषि कार्य से प्रतिमाह 8,400 रुपये कमाता था, इसलिए उसकी वार्षिक आय 1,08,000 रुपये होगी और उसके व्यक्तिगत खर्चों में कटौती करने के बाद, विचारण न्यायालय द्वारा दी गयी क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाना उचित होगा और हम क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाकर 10,00,000 रुपये करते हैं। विचारण न्यायालय द्वारा दी गई 4,00,000/- रुपये की राशि में कटौती करने के बाद, उत्तरवादी/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से और अलग-अलग अपीलकर्ताओं/वादी को 6,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के हकदार होंगे, जिसमें वाद दायर करने की दिनांक अर्थात् 31/10/2023 से इस निर्णय की एक प्रति प्राप्त होने की दिनांक से तीन महीने के भीतर इसकी वसूली दिनांक तक 6% प्रति वर्ष ब्याज भी शामिल होगा। आक्षेपित निर्णय तथा डिक्ली की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

16. तदनुसार, इस प्रथम अपील को ऊपर बताए गए विस्तार तक अनुमति दी गई है। इस पर कोई वाद व्यय देय आदेश नहीं दिया जाता है।

17. तदनुसार एक आज्ञा तैयार की जाए।

18. अभिलेख से विदा लेते समय, हम विद्वान न्यायमित्र श्री राहुल तामस्कर द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करते हैं, जिन्होंने न केवल अल्प सूचना पर मामले पर विस्तार से बहस की, बल्कि सुसंगत तथ्यों तथा विधिक स्थिति को भी हमारे संज्ञान में लाया तथा लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

सही/-

(सचिन सिंह राजपूत)

न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

